(a) whether it a fact that the Prime Minister made an announcement during his visit to drought affected areas of Orissa for financial assistance of Rs. 1000 crores;

(b) if so, what is the total amount released so far in this regard; and

(c) if not, what are the reasons thereof and by when Government will release the entire assured amount?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR) : (a) During his visit to the drought affected areas of Orissa the Prime Minister made an announcement to release an additional amount of Rs. 80 crores to the State during 1993-94 (i.e. Rs. 75 crores under Jawahar Rojgar Yojana (JRY) and Rs. 5 crores under Wasteland Development).

(b) and (c) The amount of Rs. 75 crores under JRY has since been released vide Ministry of Rural Development sanction letter No. V. 24015/18/93-RE-I dated 24th May, 1993. The amount relating to Wasteland Development has not been released since no project could be sanctioned to Orissa so far after the Prime Minister's visit to State.

उत्तर प्रदेश की संस्थाओं को लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् द्वारा वित्तीय सहायता

4380. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश की जिन संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है उन संस्थाओं के नाम क्या-क्या हैं तथा सहायता की मात्रा कितनी-कितनी है;

(ख) इस वित्तीय सहायता के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने जिन संस्थाओं की कार्य प्रणाली की समीक्षा की है उन संस्थाओं के नाम क्या हैं;

(ग) जिन संस्थाओं के विरूद्ध दुर्विनियोग के मामले दर्ज किए गए हैं, उन संस्थाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) सरकार ने इन संस्थाओं के विरूद्ध क्या कदम उठाये हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) द्वारा उत्तर प्रदेश में मार्च, 1993 तक 1216 संस्थाओं को कुल 27.84 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है ।

(ख) से (घ) मानदंडों के अनुसार सहायता के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, निधियों की अंतिम रिलीज करने से पूर्व सभी संस्थाओं, जिनकी परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं, की विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की जाती है । उत्तर प्रदेश में अनियमितताओं के कारण 51 संस्थाओं को काली सूची में रखा गया है । जब भी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताएं ध्यान में आती हैं, उन पर समुचित कार्यवाही की जाती है जिसमें उनके अनुदानों को रद्द करना, जहां कहीं आवश्यक हो, दण्डात्मक कार्रवाई करना और संगठन को भावी सहायता से वंचित करना शामिल है ।

उत्तर प्रदेश के गांवों में पानी का घोर संकट

4381. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सूखे की गम्भीर स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश के अकालग्रस्त गांवों में अधिकांश कुएं या तो बिल्कुल सूख गए हैं या उनमें बहुत कम पानी रह गया है जिसके परिणामस्वरूप उन गांवों में पेयजल का घोर संकट उत्पन्न हो गया है जहां पर ये कुएं ही पेयजल का एक मात्र स्रोत हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य के इन गांवों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने सूखे से प्रभावित गांवों में अतिरिक्त कुएं खोदने के लिए राज्य को किसी विशेष धनराशि का आवंटन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार राज्य में पेयजल की कमी का सामना कर रही जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) उत्तर प्रदेश के सूखा प्रभावित गांवों में पेयजल की विकट समस्या के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार अथवा उत्तर प्रदेश जल निगम से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । तथापि राज्य के कुछेक जिलों में अपर्याप्त वर्षा होने की वजह से कुछ गांवों, जिनमें हैंडपंप/पाइप द्वारा जल सप्लाई योजना की सुविधा नहीं है, को विशेष रूप से गर्मी के महीनों के दौरान पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा, राज्य क्षेत्र के सामान्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं को कार्यान्वित करके तथा सूखे की स्थिति से निपटने के लिये आपदा राहत कोष की राशि का इस्तेमाल करके पेयजल की समस्या का समाधान किया जा रहा है ।

(ग) योजनावार अथवा अतिरिक्त कुओं की खुदाई के लिये विशेष निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में

पेयजल सप्लाई हेतु वर्ष 1993-94 के लिये 47.24 करोड़ रुपये के सामान्य आबंटन के अलावा त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 29.24 करोड़ रुपये की विशेष सहायता आबंटित की गई है ।

(घ) सामान्य आबंटन के 50% के रूप में 23.62 करोड़ रुपये की रिलीज के अलावा राज्य सरकार को 29.24 करोड़ रुपये की समुची विशेष सहायता पहले ही रिलीज की जा चुकी है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत श्रमदिवसों का सृजन

4382. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या ग्रामीण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत क्रमशः वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 की तुलना में वर्ष 1991-92 के दौरान कम श्रम-दिवसों का सृजन किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार भविष्य में अधिक श्रमदिवस सृजित करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां । 1989-90 और 1990-91 की तुलना में 1991-92 के दौरान रोजगार सृजन में गिरावट आई है । 1989-90 से 1991-92 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन निम्न प्रकार रहा है :—

वर्ष	रोजगार सृजन (लाख श्रमदिन)
1989-90	864.39
1990-91	874.56
1991-92	808.11

(ख) रोजगार सृजन में गिरावट के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) देश में वित्तीय कठिनाईयों के कारण सभी योजना स्कीमों में कटौतियां की गई थी और परिणामस्वरूप ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भी कटौतियां हुई । जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 275 करोड़ रुपए की निधियां कम की गई थी और इसलिए राज्यों को निधियों की रिलीज में आनुपातिक कटौती की गई थी ।

(2) जबकि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटन के स्तर में कमी हुई है अधिकांश राज्यों में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी में काफी वृध्दि की गई है । इससे रोजगार सृजन भी प्रभावित हुआ है ।

(ग) भारत सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता की पूरी जानकारी है । इसलिए चालू वर्ष में योजना के अंतर्गत निधियों में काफी वृध्दि की गई है । तदनुसार वर्ष 1993-94 के लिए जवाहर रोजगार योजना हेतु 3306 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है जबकि 1992-93 के दौरान 2517.02 करोड़ रुपए और 1991-92 में 1815.57 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे ।

Extension for Indo-US-vaccine action programme

@4383. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the Indo-US Vaccine Action Programme is being extended; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. R. KUMARAMANGALAM) : (a) and (b) The formal extension of the Indo-US-Vaccine Action Programme (VAP) is under the active consideration of the two Governments. However, in order to continue various activities, and complete the on going projects, the US Public Health Services (US Govt.) and the Department of Biotechnology (Govt. of India) have made budget provisions. The recently concluded meeting of the Joint Working Group has commended the scientists for very good progress made under the identified projects. The bilateral co-operation evolved under VAP has also been considered as a very good model.

Video film produced with the support of Department of Science and technology

4384. SHRI B. K. HARIPRASAD : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are aware of a pioneering work 'The Killing Fields' produced with the support of Department of Science and Technology some two years back highlighting

@Previously Unstarred Question 2837, transferred from 18-8-1993.